

न्यायालय अपर जिला कलक्टर (द्वितीय) जोधपुर
पीठासीन अधिकारी रतन लाल योगी आर.ए.एस.

सप्लाई विविध प्रकरण संख्या : 06/2023

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
राज्य सरकार जरिये प्रवर्तन अधिकारी जिला रसद कार्यालय, प्रथम जोधपुर		श्री सरफराज पुत्र श्री अशफाक जाति-मुसलमान, निवासी कमला नेहरू नगर, प्लॉट नं. 651, तृतीय विस्तार, आनन्द डेयरी के पास, कमला नेहरू नगर, जोधपुर

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 6-ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सपठित
द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय व वितरण का विनियमन) आदेश 2000

- उपस्थिति:
1. प्रार्थी की ओर से विभागीय परोकार श्री मानवेन्द्र, प्रवर्तन
निरीक्षक जिला रसद कार्यालय, प्रथम जोधपुर उपस्थित।
 2. अप्रार्थी अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांक 25.06.2024

प्रार्थी राज्य सरकार जरिये प्रवर्तन अधिकारी, जिला रसद कार्यालय प्रथम जोधपुर की ओर से प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 6-ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सपठित द्रवित पेट्रोलियम गैस (वितरण एवं प्रदाय नियन्त्रण) आदेश 2000 के अन्तर्गत अप्रार्थी श्री सरफराज पुत्र श्री अशफाक, जाति मुसलमान, निवासी मुसलमान, कमला नेहरू नगर, प्लॉट नं. 651, तृतीय विस्तार, आनन्द डेयरी के पास कमला नेहरू नगर, जोधपुर के विरुद्ध यह प्रकरण जब्तसुदा 04 घरेलु गैस सिलेण्डरों को राज्यसात करने हेतु इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जिसको दिनांक 16.01.2023 को दर्ज किया जाकर पक्षकारों को सुना गया।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 20.12.2022 को जिला प्रवर्तन अधिकारी व प्रवर्तन निरीक्षक कार्यालय जिला रसद अधिकारी प्रथम जोधपुर द्वारा बीजेएस स्थित मारवाड़ ड्राईग एण्ड बुटिक दुकान की आकस्मिक जांच करने पर उपस्थित व्यक्ति ने अपना नाम सरफराज पुत्र श्री अशफाक बताया एवं दुकान में इण्डेन के 04 घरेलु गैस सिलेण्डर पाए गए, जिनका उपयोग दुकान में भट्टी पर रंग वाला पानी गर्म करके उसमें कपड़े डालकर रंगाई कार्य



किया जा रहा था। जिनका संचालक की उपस्थिति में वजन करवाने पर कम मात्रा में गैस पाई गई जिसका विवरण इस प्रकार है:-

क्र. स.	गैस कम्पनी का नाम	एस.आर.नम्बर	सिलेण्डर का वजन	कुल वजन	गैस का वजन (किलो में)
1.	इण्डेन	665337T	15.6 कि.ग्रा.	18.4 कि.ग्रा.	2.800 कि.ग्रा.
2.	इण्डेन	0231121	15.9 कि.ग्रा.	18.3 कि.ग्रा.	2.400 कि.ग्रा.
3.	इण्डेन	124551T	15.5 कि.ग्रा.	21.3 कि.ग्रा.	6.200 कि.ग्रा.
4.	इण्डेन	381319	15.6 कि.ग्रा.	15.6 कि.ग्रा.	0.00 कि.ग्रा.

उक्त 04 घरेलू गैस सिलेण्डर को जब्त सरकार किया जाकर प्रतिनिधि मारवाड़ गैस सर्विस मानजी का हत्था के मैनेजर श्री हनुमानराम पुत्र भल्लाराम विशनोई को सुपुर्द किया गया। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा उक्त 04 घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा था जो कि द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के प्रावधानों का उल्लंघन एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः प्रार्थी द्वारा धारा 6(ए) के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर जब्त उक्त 04 घरेलू गैस सिलेण्डरों को राज्यसात् किये जाने की प्रार्थना की गई।


प्रकरण में प्रार्थी विभागीय पेरोकार की एकपक्षीय बहस सुनी गयी। प्रार्थी की ओर से विभागीय पेरोकार श्री मानवेन्द्र प्रवर्तन निरीक्षक ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थी द्वारा वक्त जांच मौके पर 04 घरेलू सिलेण्डर का दुकान में भट्टी पर रंग वाला पानी गर्म करके उसमें कपड़े डालकर रंगाई कार्य किया जा रहा था। ऐसी स्थिति में अप्रार्थी द्वारा 04 घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यावसायिक उपयोग में लिया जाने से आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 का स्पष्ट रूप से उल्लंघन किया गया है जिसके कारण जब्त उक्त 04 घरेलू गैस सिलेण्डर को राज्यसात् किये जाने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया गया।

हमने विभागीय पेरोकार की बहस पर मनन एवं प्रकरण में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र अनुसार अप्रार्थी द्वारा उक्त 04 घरेलू गैस सिलेण्डरों का दुकान में भट्टी पर रंग वाला पानी गर्म करके उसमें कपड़े डालकर रंगाई कार्य किया जाकर व्यावसायिक उपयोग में लिया जा रहा था जो कि द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय व वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः प्रार्थी सरकार जरिये प्रवर्तन अधिकारी जिला रसद कार्यालय प्रथम जोधपुर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा जब्तसुदा

उक्त 04 (चार) घरेलू गैस सिलेण्डरों को राज्यसात करने का आदेश दिया जाता है। जिला रसद अधिकारी प्रथम जोधपुर को निर्देशित किया जाता है कि जब्तसुदा 04 (चार) घरेलू गैस सिलेण्डरों का नियमानुसार निस्तारण किया जाकर राशि राज्य कोष में जमा कराई जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील तामिल दाखिल दफ़तर हो।

निर्णय आज दिनांक 25.06.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।




(रतन लाल योगी)
आम जिला कलेक्टर (दिलीय),
जोधपुर